प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका सं 329 / 2019

1 – डॉ. विवेक दासोर पिता रामभरोश दासोर , 32 वर्ष, निवासी स्पर्श मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल भिलाई, तहसील तथा निवासी दुर्ग छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – अरुण तामराकर पिता स्वर्गीय भरत लाल 57 वर्षों ,चिकित्सा स्टोर, इंदिरा मार्निवासीट मोतीपारा, दुर्ग पुलिस थाना, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

2 – छत्तीसगढ़ राज्य,जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा , दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु :--श्री दीपक कुशवाहा, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 1 हेतु :--श्री जयदीप सिंह यादव, अधिवक्ता

राज्य हेतु :--सुश्री सुनीता माणिकपुरी, उप शासकीय अधिवक्ता

(माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश)

पीठ पर आदेश

20/03/2025

1. यह वर्तमान याचिका सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा प्रकरण क्रमांक 83/2019 में पारित दिनांक 23/01/2019 के आदेश द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत उत्तरवादी क्रमांक 1 को जमानत प्रदान की गई है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता डीएम (कार्डियोलॉजी) है और वह डॉ. राघवेंद्र राय के साथ स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग में काम कर रहे थे। 13.01.2019 को कुमारी बाई (उम्र लगभग 76 वर्ष) नामक एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रारंभिक अन्वेषण में पाया गया कि वह बीपी, मधुमेह और हृदय की समस्या से पीड़ित थी।

मरीज के रिश्तेदारों ने बताया कि वह हृदय की समस्या की पुरानी मरीज थी।मरीज के परिजनों की संतुष्टि के लिए डॉ. बालकृष्णन (बाहरी चिकित्सक) को मरीज को देखने के लिए बुलाया गया, जिन्होंने मरीज के परिजनों को मरीज की गंभीर स्थिति से अवगत कराया। 15.01.2019 की रात्रि (लगभग 9:00 बजे) मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। रात लगभग 10:00 बजे मरीज की मृत्यु की सूचना अनावेदक अरुण ताम्रकार (मृतक का पुत्र) और उसके साथ मौजूद दो अन्य लड़कों को दी गई।अरुण ताम्रकार अचानक क्रोधित हो गए, उन्होंने टेबल पर लात मारी और डॉ. राय का कॉलर पकड़ लिया, गाली–गलौज की और मारपीट की। अनहोनी की आशंका होने पर डॉ. विवेक दशोरे (याचिकाकर्ता) बाथरूम में छिप गए। अरुण ताम्रकार और उनके दो साथियों ने याचिकाकर्ता को बाथरूम से बाहर निकाला, अश्लील शब्द कहे, धमकाया और मारपीट की, जिससे याचिकाकर्ता के दाहिने घुटने में अंदरूनी चोट आई है।

3. इसके बाद अरुण ताम्रकार और उसके साथी ने अस्पताल में शोर मचाया और हंगामा किया, उन्होंने अस्पताल की टेबल तोड़ दी और अरुण ताम्रकार ने महिला गार्ड (श्रीमती सुनीता साहू) को थप्पड़ मारे, अस्पताल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और आईसीयू का दरवाजा भी लात मारकर तोड़ने की कोशिश की।यह घटना अस्पताल के सीसीटीवी में अभिलेखित हो गई है।अरुण ताम्रकार और उनके साथी ने अस्पताल में बहुत देर तक चिल्लाया, जिससे अस्पताल के कर्मचारियों के मन में डर पैदा हो गया। पुलिस ने अस्पताल में आकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। याचिकाकर्ता ने 16.01.2019 को पुलिस थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई। याचिकाकर्ता की रिपोर्ट पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506, 323, 427/34 और सी.जी. मेडिकल केयर सर्विस पर्सन और मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशन (हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत एफआईआर क्रमांक 67/19 दर्ज किया गया।अरुण ताम्रकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने 23.01.2019 के आदेश द्वारा अनावेदक अरुण ताम्रकार को अग्रिम जमानत प्रदान की।इसलिए यह याचिका दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने का आरोपित आदेश स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध है, अवैध, मनमाना और अन्याय को बढ़ावा देने वाला है तथा न्याय की विफलता का कारण बना है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि अनावेदक के कृत्य ने न केवल याचिकाकर्ता के मन में, बल्कि समाज की सेवा करने वाले पूरे चिकित्सा जगत के मन में भी भय पैदा किया है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति पर विचार नहीं किया है। उन्होंने अंत में तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई जमानत रद्द की जा सकती है।

5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता और उत्तरवादी संख्या 1/आरोपी के विद्वान विद्वान आक्षेपित आदेश का समर्थन करते है और प्रस्तुत करते है कि सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में इस

न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।उत्तरवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने एआईआर 1978 एससी 179 और एआईआर 2009 एससी 3173 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून पर भरोसा जताया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका खारिज की जाए।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

7. अभिलेखों और साक्ष्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा व्यक्ति और चिकित्सा सेवा संस्थाएं (हिंसा और संपत्ति को नुकसान या हानि का निवारण) अधिनियम, 2010 की धारा 3 को छोड़कर, जो पहले एक जमानती अपराध था और जिसे संशोधन के माध्यम से गैर–जमानती अपराध बना दिया गया है, शेष अपराध जमानती हैं और प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को दी गई अधिकतम सजा 3 वर्ष तक है।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने दौलत राम एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में (1995) 1 एससीसी 349 में जमानत की अस्वीकृति और पहले से दी गई जमानत को रद्द करने के मुद्दे पर पैरा 4 में इस प्रकार निर्णय दिया है, जो इस प्रकार है:–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"4. प्रारंभिक चरण में गैर–जमानती मामले में जमानत की अस्वीकृति और इस प्रकार दी गई जमानत को रद्द करने पर अलग–अलग आधार पर विचार किया जाना चाहिए और उससे निराकरण किया जाना चाहिए। पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ही ठोस और भारी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। आम तौर पर, जमानत रद्द करने के आधार, मोटे तौर पर (उदाहरणात्मक और संपूर्ण नहीं) हैं: न्याय प्रशासन के उचित तरीके में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास या न्याय के उचित तरीके से बचने या बचने का प्रयास या किसी भी तरह से अभियुक्त को दी गई रियायत का दुरुपयोग।अभियुक्त के फरार होने की संभावना के बारे में अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के आधार पर न्यायालय की संतुष्टि, जमानत रद्द करने का औचित्य सिद्ध करने वाला एक और कारण है। हालांकि, एक बार दी गई जमानत को इस बात पर विचार किए बिना यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्या किसी भी परिस्थिति ने इसे निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं बनाया है ताकि अभियुक्त को वाद के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेने की अनुमति मिल सके।ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इन सिद्धांतों को नजरअंदाज कर दिया जब उसने पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्णय किया। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने पहली बार में गैर–जमानती मामले में जमानत खारिज करने और पहले से दी गई जमानत को रद्द करने के लिए प्रासंगिक कारकों के बीच अंतर को नजरअंदाज कर दिया।

9. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हजारी लाल दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2009) 10 एससीसी 652 में रिपोर्ट किए गए मामले में कंडिका 7 में कहा है कि: –

"7. अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा न्याय के प्रशासन के उचित क्रम में हस्तक्षेप किया गया है या हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है। अभिलेख से यह भी नहीं लगता है कि उसे दी गई रियायत का किसी भी तरह से दुरुपयोग किया गया है। अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए कोई भी परिस्थिति सामने नहीं आई है और न ही कोई औचित्य दिखाया गया है।सत्र न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जमानत देने में प्रयोग किए गए न्यायिक विवेक में उच्च न्यायालय द्वारा ठोस और ठोस परिस्थितियों के अभाव में हस्तक्षेप किया गया है। इस प्रकार, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि विवादित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।"

10. अब्दुल बासित बनाम मो. अब्दुल कादिर चौधरी (2015) 1एससीसी 257 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भले ही अभियुक्त ने जमानत का आदेश प्राप्त करने के लिए तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया हो, उच्च न्यायालय को जमानत देने के पहले के आदेश की समीक्षा करके जमानत रद्द करने की प्रार्थना पर विचार नहीं करना चाहिए था।

11. वर्तमान मामलों में अग्रिम जमानत देने के आदेश को विधि के विपरीत होने के आधार पर चुनौती दी गई है।इसके अलावा सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अवलोकन पर, मैंने पाया है कि सत्र न्यायाधीश ने मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया है और इस तथ्य पर विचार किया है कि एक अपराध को छोड़कर सभी अपराध जमानती प्रकृति के हैं और याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी है।चूंकि अभिलेख में लाई गई परिस्थितियां यह नहीं दर्शाती हैं कि अभियुक्त ने उसे दी गई जमानत का दुरुपयोग किया है, इसलिए मैं विधि के विरुद्ध होने के आधार पर जमानत रद्द करने का विवाद्यक निर्धारित नहीं कर सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क, याचिका में किया गया के तर्क और जमानत रद्द करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के उपरोक्त सिद्धांतों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय उत्तरवादी सं 1/उत्तरवादी अरुण ताम्रकार को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने का कोई अच्छा आधार नहीं पाता है, जो वर्ष 2019 में दी गई थी और अब तक लगभग 06 वर्ष बीत चुके हैं।

13. तदनुसार, वर्तमान याचिका बिना किसी सार के होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है तथा तदानुसार खारिज कि जाती है।

सही/-

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur